न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री भीमा पुत्र स्व. सोमा, जाति गरासिया, निवासी आमथला व अन्य – 7		श्री भुरकी पुत्री भुताजी, जाति गरासिया, निवासी चोटिला चनार व अन्य – 5

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 72/2013

दिनांक 25/9/2024

उपस्थित :–

श्री जितेन्द्र सुराणा, अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादीगण के संयुक्त परिवार की एक कृषि भूमि खसरा संख्या 15, 17, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 71, 75, 13/1200, 65, 47 की कुल रकबा 62 बीघा 9 बिश्वा मौजा गांव आमथला, पटवार क्षेत्र आमथला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किवरली , जिला सिरोही में स्थित है।

यह कि वादीगण का संयुक्त परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है :–

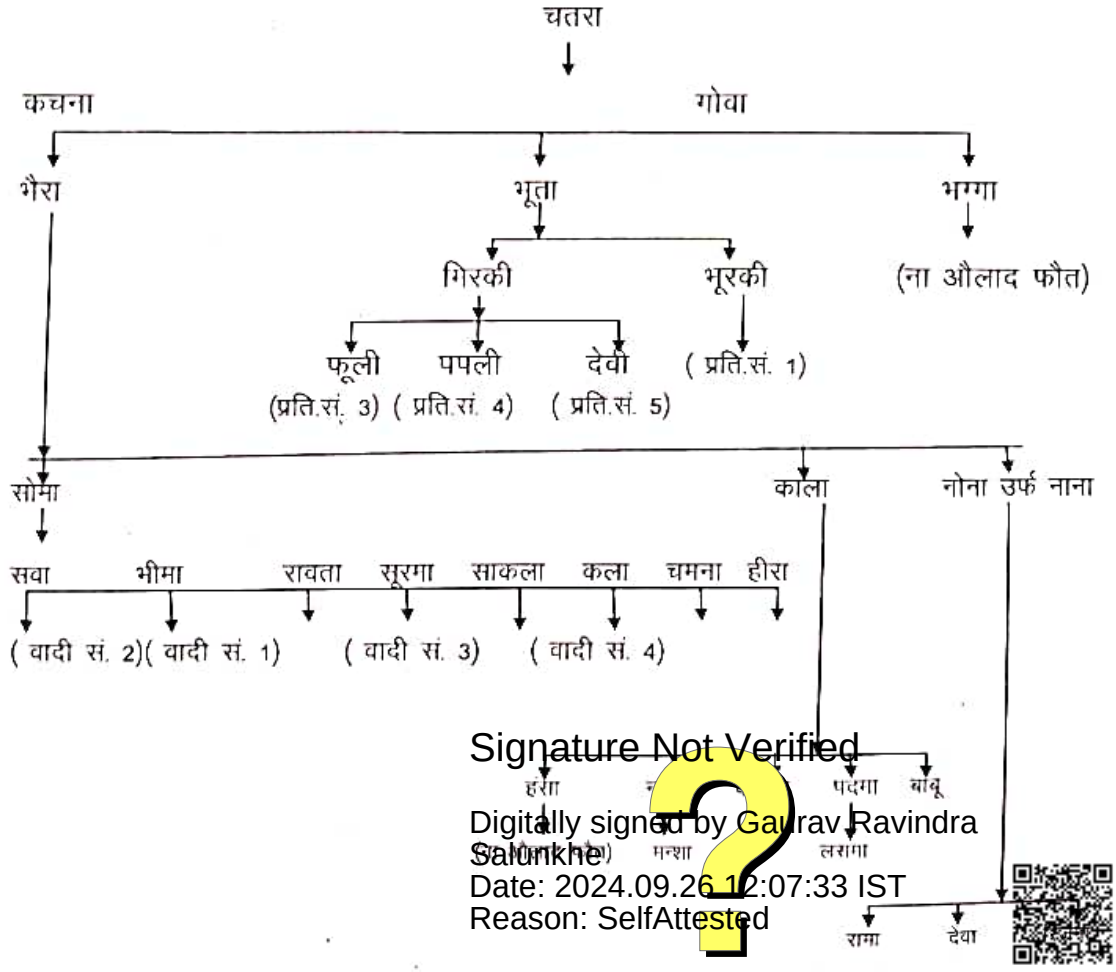

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe

Date: 2024.09.26 12:07:33 IST

Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

यह कि विवादित खसरा संख्या 38, 41 जो वादीगण के कब्जे में है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 6 (शांतिलाल पुत्र केसाराम) को विक्रय कर दी है जबकि यह भूमि आज भी वादीगण के कब्जे काश्त में है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 भूरकी और मीरकी पुत्रीयां भूताजी थी एवम मीरकी का देहांत हो चुका है। विवाह के बाद भूताजी की उक्त दोनो पुत्रीयां अपने ससुराल में ही रहती थी उनका पिछले लगभग 50 साल से खसरा संख्या 38 व 41 की कृषि भूमि में कोई लेना देना नहीं है इस भूमि पर वादीगण का एडविर्स परफेक्ट पजेशन हो चुका है। इनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को किया गया विक्रय एब इनीशियो वाईड होने से अवैध व शून्य है। यह कि उक्त तमाम भूमि का आज तक भाई बटवाड भी नहीं हुआ है और न ही भूमि का कब्जा अलग अलग हुआ है इस कारण भी प्रतिवादी संख्या 6 को किया गया विक्रय विलेख अवैध एवं शून्य है। यह कि प्रतिवादी संख्या 6 दिनांक 2–7–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ मौके पर आया तथा उसने कथन किया कि खसरा संख्या 38 व 41 की बरकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि उसने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से खरीद कर ली है इस कारण वादीगण मौके पर से अपना कब्जा हटाकर भूमि खाली करें। यह कि वादीगण को उक्त विक्रय की जानकारी होने पर वादीगण ने दिनांक 8–7–2013 को उक्त भूमि में अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 7 को एक विधिक नोटिस दिया जो नोटिस प्रतिवादी संख्या 7 को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उन्होंने आज तक खसरा संख्या 38 व 41 की भूमि का वादीगण के दादा श्री भैरा जी के वंशजो के नाम आज तक खातेदारी दर्ज नहीं की है और न ही उनके पक्ष में नियमन जारी किया है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 6 को खसरा संख्या 38 एवं 41 का किया गया विक्रय विलेख एब इनिशियो वाईड होने से उक्त विक्रय विलेख अवैध एवम् शून्य होने की डिक्री पारित कर उक्त खसरा संख्या 38 एवं 41 की कृषि भूमि का वाद श्री भैराजी के वंशजों के नाम नियमन करने की घोषणा कर वाद डिक्री करवाने हेतु यह पेश किया गया है। यह कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है कि खसरा संख्या 38 व 41 की बरकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि पर से वाद पद संख्या 2 में वर्णित वंशावली अनुसार श्री भैराजी के वंशजों को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिये कृषि काश्त से जबरन विघ्न पैदा कर बेदखल नही करे व न ही करावें इस हेतु यह वाद पेश किया गया है।

यह कि हमने वाद दर्ज रजिस्टर करा। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा नंबर 38 व 41 रकबा 6.04 बीघा शांतिलाल पुत्र केसाराम कौम भील सा.वासन तहसील रेवदर के नाम से दर्ज है। पटवारी हल्का पटवार आमथला मौका फर्द दिनांक 07.08.2024 में अंकन है कि ग्राम आमथला के खसरा नंबर 38 पवनी बाई पत्नि शांतिलाल के 1/2 राधा देवी पत्नि अर्जुन राम 1/2 जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है व ख.न. 38 में भीमा , सांकला, कला पुत्र सोमा व छोगा पुत्र सवा, जगा पुत्र रावता मौके पर काबिज है। ग्राम आमथला में खसरा नंबर 41 पवनी बाई पत्नि शंकरलाल जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है व सांकला पुत्र सोमा उक्त खसरे में काबिज है।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी, बयान गवाह व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया तथा पाया कि वादपत्र में अंकन है कि मौजा गांव आमथला के विवादित खसरा संख्या 38, 41 जो वादीगण के कब्जे [illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 6 (शांतिलाल पुत्र केसाराम) को विक्रय [illegible] वादपत्र में अंकन है कि उक्त खसरा नंबर की भूमि वादीगण के संयुक्त प[illegible] की कृषि भूमि है जिसका आज तक बंटवाड नहीं हुआ है और न ही [illegible] हुआ है चूंकि उक्त वाद में खसरा नंबर 38 एवं 41 की कृषि भूमि को श्री भैराजी के वंशजों के नाम नियमन करने की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जो तभी मिल सकता है जब विक्रय विलेख को रद्द किया जावें एवं उक्त दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। चूंकि स्टेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.26 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

के जवाब के अनुसार खसरा नंबर 38 व 41 रकबा 6.04 बीघा शांतिलाल पुत्र केसाराम कौम भील सा.वासन तहसील रेवदर के नाम से दर्ज है। पटवारी हल्का पटवार आमथला मौका फर्द दिनांक 07.08.2024 में अंकन है कि ग्राम आमथला के खसरा नंबर 38 पवनी बाई पत्नि शांतिलाल के 1/2 राधा देवी पत्नि अर्जुन राम 1/2 जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है , ग्राम आमथला में खसरा नंबर 41 पवनी बाई पत्नि शंकरलाल जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है। अतः विवादग्रस्त खसरा नंबए की भूमि का वादीगण वर्तमान में रिकॉडेर्ड खातेदार नही है तो वह धारा 188 के अधीन कोई अनुतोष का दावा नही कर सकता।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट. परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25-9-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.26 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested